



सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद रामनगर सीमान्तर्गत ठेका पशु पंजीकरण एवं पंजीकृत तहवाजारी एवं ठेका फड़/फेरी व्यवसायिक शुल्क वसूली हेतु www.uktenders.gov.in के माध्यम से ई0 निविदा आमंत्रित की जाती है। ई0 निविदा का विवरण निम्नानुसार है।

S.No	Schedule/Information	Date	Time
1	Date of online publication	04-03-2025	12.00 PM
2	Document download start date	04-03-2025	12.00 PM
3	Bid submission start date	04-03-2025	12.00 PM
4	Bid submission End date	18-03-2025	05.00 PM
5	Offline submission of hard/original of documents End Date	18-03-2024	05.00 PM
6	Bid opening date	19-03-2025	11.00 AM

उपरोक्त के सम्बंध में जानकारी कार्यालय के कक्ष सं0 05 से किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।


अधिसासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, रामनगर।


अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, रामनगर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक ~~332~~ /05-कर अनु0/2024-25

दिनांक ~~03-03-2025~~

प्रतिलिपि सम्पादक दैनिक जागरण, उत्तर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 04-03-2025 के अंक में उपरोक्त निविदा सूचना का एक बार न्यूनतम साईज में शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रकाशन कर, समाचार पत्र की दो प्रतियाँ सहित बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

- नोटिस बोर्ड नगरपालिका परिषद, /तहसील कार्यालय रामनगर।
- सम्बन्धित पत्रावली।

अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, रामनगर
(नैनीताल)

6/10


नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।
आबंटन शरायते-ठेका पशु पंजीकरण एवं पंजीकृत तहबाजारी
वित्तीय वर्ष (2025-2026)


1. ठेका आबंटन हेतु निविदाए ई0टैण्डर वेबसाईट www.uktenders.gov.in के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे।
2. ठेके हेतु न्यूनतम सरकारी धनराशि 50,00000=00 (पचास लाख) एवं 18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) अतिरिक्त निर्धारित है।
3. ई0निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होंगे। समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति भी नगरपालिका कार्यालय में निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करनी होगी।
 - आधार कार्ड
 - पैन कार्ड
 - राशन कार्ड या ऐसा वैध दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि करता हों।
 - सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी) जो 06 माह से अधिक पुराना न हो।
 - रुपये 5,00000=00 का अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय एफ0डी0आर0 (मूल रूप में) जमानत धनराशि के रूप में।
 - निविदादाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - निविदा प्रपत्र मूल्य रु 4,000=00 एवं 18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) सहित कुल धनराशि रु 4,720=00 का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल में)
4. ठेका स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदादाता को तुरन्त कुल स्वीकृत निविदा धनराशि का 1/2 भाग व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 धनराशि सहित पालिका कोष में जमा करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, स्वीकृत ठेकेदार द्वारा धनराशि जमा न करने एवं ठेका लिये जाने से मना करने पर ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा, एवं ठेका द्वितीय व तृतीय उच्चतर निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
5. ठेके की शेष धनराशि 31 जुलाई 2025 एवं 31 दिसम्बर 2025 को दो समान किस्तों में जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) POST DATED CHEQUE नगरपालिका कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होंगे जिन्हें किस्त जमा न होने की स्थिति में पालिका कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैको का अनादर (चैक बाउन्स) होने की स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के 03 दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 02 प्रतिशत) नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश पत्र सं0-375/म0निनि0/2012-13 दिनांक 13 जुलाई 2012 के अन्तर्गत ठेके की राशि के 02 प्रतिशत की दर से देय होगा।



7. यदि किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था द्वारा नगरपालिका परिषद रामनगर द्वारा पूर्व में निविदा लेने से मना किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति/फर्म/संस्था को निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करना निषेध होगा।
8. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
9. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तों के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
10. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों/देयकों आदि के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।
11. ठेकेदार को मा० न्यायालय/शासन/अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगरपालिका रामनगर द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
12. ठेका नगरपालिका सीमान्तगत केवल बेचे जाने वाले मवेशियों पर पंजीकरण शुल्क एवं पंजीकृत तहबाजारी शुल्क वसूल करने का है।
13. ठेका वसूली पालिका द्वारा निर्धारित दरों पर की जायेगी जो निम्न प्रकार है—
 1. पशु पंजीकरण शुल्क - 100=00 रु० प्रति पशु०
 2. पंजीकृत तहबाजारी शुल्क - 50=00 रु० प्रति पशु०
14. नगरपालिका परिषद, रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के बकायेदार एवं उसके पारिवारिक सदस्यों को (राशन कार्ड में उल्लिखित) ठेके में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
15. पशु बाजार में लाये गये पशुओं की अपरिहार्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर ठेकेदार को तत्काल इस सम्बन्ध में पालिका को सूचित करना अनिवार्य होगा एवं निर्धारित शुल्क पालिका में जमा करने के पश्चात् पालिका द्वारा मृत पशुओं का निस्तारण किया जायेगा।
16. पशुओं हेतु बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई, मल मूत्र निस्तारण ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना अनिवार्य होगा।
17. ठेकेदार पंजीकरण शुल्क तथा पंजीकृत शुल्क नगरपालिका परिषद के वर्तमान शैड्यूल रेट्स के अनुसार ही वसूल करेगा जिसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि ठेकेदार को पालिका परिषद द्वारा दी जाएगी।
18. पशु ऊँटपड़ाव स्थित पशु बाजार स्थल में ही बांधे जाएंगे। स्वीकृत ठेकेदार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वह पशु बाजार हेतु निर्धारित स्थान से अतिरिक्त स्थान पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा कि वह पशुओं को सड़क पर न बांधने दे और न ही उनकी लोडिंग-अनलोडिंग सड़क पर होने दे यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है तो ठेकेदार के विरुद्ध ठेका निरस्त किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यदि भविष्य में पशु बाजार का स्थान परिवर्तित होता है तो ठेकेदार को तत्काल नये स्थल पर उक्त कार्य स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा।
19. ठेकेदार को पंजीकरण रसीद एवं पंजीकृत तहबाजारी रसीदों के नमूनें नगरपालिका परिषद के कार्यालय से ले जाकर मजमून के अनुसार रसीद बुकें अपने खर्च से छपवानी होगी।
20. ठेकेदार द्वारा निर्गत की गई पंजीकरण एवं तहबाजारी रसीदों को नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को जाँच करने का अधिकार होगा।
21. ठेकेदार को पशुपंजीकरण एवं पंजीकृत तहबाजारी नियमों के अनुरूप निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा।

22. ठेके के संचालन के सम्बन्ध में पालिका के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नियमों के अन्तर्गत दिए गए आदेशों/निर्देशों का ठेके को पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
23. ठेका स्वीकृत एवं अनुबन्ध होने के ठेकेदार को ठेके का कब्जा व वसूली हेतु आदेश दिया जाएगा।
24. यदि किसी कारणवश पशु बाजार में किसी पशु की मृत्यु होती है तो उसके निस्तारण की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
25. ठेकेदार को ठेके की अवधि समाप्त होने के दिनांक 31-03-2026 को ठेके का दखल पालिका को देना होगा अन्यथा ठेके का दखल पालिका स्वयं ले लेगी और इस पर आने वाला खर्च भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा।
26. ठेके की वसूली निर्धारित दरों पर करने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं करे तथा वसूली पर लगाए जाने वाले व्यक्ति को फोटो सहित पहचान पत्र दिए जाने अनिवार्य होंगे।
27. ठेके की धनराशि जमा न करने पर सम्बन्धित उच्चतम कोटेशनदाता द्वारा पूर्व में कोटेशन के साथ संलग्न जमानत की धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेके की पुनः नीलाम किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ठेकेदार को इसमें आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।
28. दैवीय आपदा या महामारी एवं अन्य कारणों को आधार बनाकर ठेके की धनराशि में छूट चाहने संबंधी क्षतिपूर्ति दावे/प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
29. ठेका बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद का होगा।
30. किसी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार रामनगर क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय में निहित होगा।
31. ठेके की किसी भी प्रकार की बकाया व क्षतिपूर्ति की धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जाएगी।
32. ठेके की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार ₹0 5000=00 (पाँच हजार ₹0) दूसरी बार में 10,000=00 (दस हजार ₹0) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू-राजस्व वसूली की भाँति की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे-खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।


अधिसासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, रामनगर


अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद रामनगर